कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0)

Email Id : bastar.dpo84@gmail.com **Phone No : 07782 - 222827**

क्रमांक / 587 / मबावि / स्था0 / 2023–24 जगदलपुर,दिनांक....15 / 06 / 2023

प्रति,

संयुक्त संचालक,
प्रकाशन संचालनालय जनसम्पर्क,
रायपुर (छ0ग0)

विषयः– स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने विषयक ।

––– :: 0 ::–––

सखी वन स्टॉप सेन्टर, जगदलपुर के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार जिला बस्तर में केन्द्र प्रशासक के पद हेतु सेवा प्रदाता के लिए दिनांक 22.06.2023 तक पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये है । विज्ञापन की प्रति संलग्न कर प्रेषित है । कृपया 02 स्थानीय एवं 02 राज्यस्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करेंगें ।

संलग्नः– विज्ञापन की प्रति

15/6/23

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जगदलपुर, जिला–बस्तर

पृ0क्रमांक / 588 / मबावि / स्था0 / 2023–2024 जगदलपुर,दिनांक..15.... / 06 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. संचालक,संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी,(NIC) जगदलपुर, जिला–बस्तर । कृपया वेबसाईट **www.bastar.gov.in** पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जगदलपुर, जिला–बस्तर

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0)

Email Id : bastar.dpo84@gmail.com **Phone No : 07782 - 222827**

क्रमांक / 586 / मबावि / स्था0 / 2023–24 जगदलपुर,दिनांक 15/ 06 / 2023

/ /वॉक इन इन्टरव्यू हेतु विज्ञापन/ /

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर द्वारा बस्तर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "सखी" वन स्टॉप सेन्टर स्थापना की स्वीकृति दी गयी है । "सखी" वन स्टॉप सेन्टर में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है । इस हेतु पात्र आवेदक (व्यक्तिगत सेवा प्रदाता) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो / पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 26.06.2023 समय प्रातः 12:00 बजे वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जावेगी । इच्छुक महिला आवेदक निर्धारित दिनांक 16.06.2023 से 22.06.2023 को सांय 5:30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग (संयुक्त कलेक्ट्रेट) जगदलपुर आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें । पद विवरण एवं भर्ती प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

क्र0	पद का नाम	जिले में आवश्यक सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित सेवा शुल्क	सेवा प्रदाता हेतु अधिकतम आयु	रिमार्क
1	केन्द्र प्रशासक	01	25000 / – प्रतिमाह	01 अनारक्षित	

उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद / पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है ।

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निन्नानुसार होगी :–

सेवा का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	वांछनीय योग्यता
केन्द्र प्रशासक	विधि स्नातक / समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (विधि स्नातक के साथ समाज शास्त्र / मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी)	शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थान में महिलाओं के संरक्षण से संबंधित 05 वर्ष का कार्य अनुभव (Any women having a law degree/Mastar in Social work with at least 5 years' experience of working on violence againts women issues in an administrative set-up with a Government project/ programmed and preferably with at least 1 years' experience of counseling either within or outside the same set-up She shuold be a resident of the local community so that local human resource and cummunity so that local human resource and expertise is utilized for effective functioning of the centre)	महिलाओं के अधिकार, उन की देखरेख एवं संरक्षण से संबंधित कानूनो एवं कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

Join Our Telegram Channel

निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र **कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, (संयुक्त कलेक्ट्रेट) जगदलपुर, जिला–बस्तर** को प्रस्तुत करना होगा । वरीयता सूची अनुसार केन्द्र प्रशासक पद के लिए अधिकत्म 05 उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट तैयार कर उनका कौशल/कम्प्यूटर/साक्षत्कार लिया जावेगा।

उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

पदनाम	चयन प्रक्रिया
केन्द्र प्रशासक	वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक, पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव के लिए 20 अंक तथा लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 20 अंक निर्धारित रहेंगें।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों की मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :–

1. नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी । तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयोगिता का आंकलन कर नियुक्ति आगे बढ़ने का निर्णय कलेक्टर/विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी । सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क एक मुश्त देय होगा। इसके लिये अतिरिक्त कोई अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तो के अनुसार एक मुश्त राशि दी जावेगी।
2. नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त देय होगा । इसके अतिरिक्त अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नही होगी। सेवा समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी। केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करें ।
3. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। उक्त अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
4. **आवेदन की आयु दिनांक 30/01/2023 की स्थिति में न्यूनतम् 21 वर्ष एवं अधिकत्म 55 वर्ष होनी चाहिए ।**
5. अभ्यार्थी को बस्तर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा । निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए ।

7. आवेदन निर्धारित प्रारूप अनुसार ही जमा किया जावे । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व–प्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए । आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र स्व–प्रमाणित नही होने पर आवेदन पत्र निरस्त होगा ।
8. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्व प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियो को आवेदन देने संबंधी जानकारी अपने नियोक्ता को देना होगा ।
10. अपूर्ण,अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जायेंगें तथा इसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई अलग से सूचना नही दी जावेगी ।
11. उपरोक्तानुसार उल्लेखित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ।
12. केन्द्र प्रशासक पद हेतु स्किल टेस्ट की परीक्षा विभाग द्वारा ली जावेगी। जिसमें पास होना अनिवार्य है। वॉक इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा। ।
13. निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
14. चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर, का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
15. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,जगदलपुर,जिला–बस्तर के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट **www.bastar.gov.in** पर देखी जा सकती हैं ।
16. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यार्थियों को सूचना नही दी जायेगी ।
17. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2023. को समय 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, (संयुक्त कलेक्ट्रेट) जगदलपुर, जिला–बस्तर में अनिवार्य रूप प्राप्त होना चाहिए । इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

15/6/23

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जगदलपुर, जिला–बस्तर

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0)

"विज्ञापन"

<u>सखी वन स्टॉप सेन्टर, जगदलपुर के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार जिला बस्तर में केन्द्र प्रशासक के पद पर सेवा प्रदाता के संबंध में विज्ञापन</u>

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर द्वारा बस्तर जिले में "सखी" वन स्टॉप सेन्टर स्थापना की स्वीकृति दी गयी है । "सखी" वन स्टॉप सेन्टर में दैनिक कार्यो के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है तदानुसार बस्तर जिले में सखी वन स्टॉप सेन्टर,जगदलपुर के प्रावधानों की स्वीकृति अनुसार केन्द्र प्रशासक के पद पर सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है । पात्र आवेदकों से **दिनांक 26.06.2023** तक वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है । पद विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	पद का नाम	संस्थान का नाम	पद संख्या	एक मुश्त वेतन
1	केन्द्र प्रशासक	सखी वन स्टॉप सेन्टर, जगदलपुर	1 अनारक्षित (महिला)	**25000/– प्रतिमाह**

कृपया वेबसाईट **www.bastar.gov.in** पर अपलोड है । विस्तृत जानकारी इस पर देखी जा सकती है ।

15/6/23

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जगदलपुर, जिला–बस्तर

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए वस्पा करें

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
(संयुक्त कलेक्ट्रेट) जगदलपुर जिला–बस्तर ।

1. आवेदित पद का नाम :–..
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–..
   (अंग्रेजी में) :–..
3. पिता / पति का नाम :–..
4. स्थायी पता :–..
5. (पत्र व्यवहार का पता) :–..
   :–..................दूरभाष / मोबाईल नम्बर....................
6. जन्मतिथि (अंकों में) :–..
   शब्दों में :–..
7. दिनांक 30.01.2023 को आयु :–..
8. लिंग महिला :–..
9. जाति / वर्ग / (अ.जा. / अ.ज0जा. / अ.पि.व. / सामान्य) जाति.. वर्ग............
10. क्या आवेदक शसकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है :–..
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यत्ता :–..
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्याः–....................................
13. शैक्षणिक योग्यताः–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

14. अन्य योग्यता का विवरण :–...

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)...

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोडने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची :–...

1. जन्मतिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची /प्रमाण पत्र
2. 12 वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. विधि स्नातक की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. स्नाकोत्तर की अंकसूची ।
6. व्यवसायिक पाठ्क्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

9. **अन्य संलग्नकों का विवरण**

1...

2...

3...

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक का हस्ताक्षर